न्यायालय:– अपर र	<u> । १त्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</u>
	प्रकरण क्रमांक 197 / 2010 सत्रवाद
	मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थान
	मौ जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

बनाम

- 1. राजबीर सिंह पुत्र विद्याराम गुर्जर उम्र 28 साल, निवासी ग्राम स्याही पुरा थाना मौ जिला भिण्ड। हाल निवासी— बोना गेट टेकनपुर थाना आंतरी जिला ग्वालियर म.प्र.।
- 2. जसवंत पुत्र धनीराम अहिरवार उम्र 25 साल निवासी ग्राम अगोरा थाना सिविल लाइन दतिया जिला दतिया म.प्र.।
- 3. हल्के पुत्र शिवदयालय अहिरवार 20 साल निवासी ग्राम कावर थाना जिगना जिला दतिया। हाल निवासी– दीदार कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.।......फरार
- 4. पप्पू उर्फ बानासिंह उर्फ भरोषी पुत्र शिवदायाल जाटव उम्र 40 साल निवासी ग्राम कावर थाना जिगना जिला दितया म.प्र.। हाल निवासी—दीदार कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियार म.प्र.

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० ४६९/१० इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क० १९७/२०१० भारान दारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गर्जर।

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त जसवंत द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता। अभियुक्त राजबीर द्वारा श्री जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 27-11-2014 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में आरोपीगण जसबंत एवं राजवीर का विचारण प्रथम दृष्टिया धारा 342, 366, 376(2)(छ) तथा 506बी भा0दं०वि० के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि आरोप

है कि दिनांक 26.04.10 को 18:00 बजे ग्राम सियारी पुरा आम रास्ता से जंगल में अभियोक्त्री एवं उसके पित छुन्नालाल को स्वेच्छया पूर्वक जबरदस्ती कार में बिठालकर व ऐसी बांधा डाली कि जिस दिशा में जाने का वह अधिकार रखते उससे वह निवारित हुए। उन पर यह भी आरोप है कि अभियोक्त्री का अपहरण / व्यवहारण उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए किया गया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक को महिला अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया तथा यह भी आरोप है कि अभियोक्त्री व उसके पित को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धोश धमी देकर अपराधिक अभित्राश कारित किया।

02. यह अविवादित है कि प्रकरण में मूल रूप से चार आरोपी थे जिनमें से आरोपी हल्के पुत्र शिवदयाल तथा आरोपी पप्पू उर्फ बानासिंह पुत्र शिवदयाल विचारण के दौरान अनुपस्थित होने के कारण फरार घोषित किए गए हैं और वर्तमान में आरोपी जसबंत और राजवीर का विचारण किया जा रहा है।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 26.04.2010 को 06 बजे 03. शाम अभियोक्त्री अपने पति व डेढ साल के बच्चे के साथ मौ से बाजार कर अपने गाँव गुमारा जा रही थी। रास्ते में साइकिल पन्चर हो जाने से वह पैदल जा रहे थे। जैसे ही वह सियारी पुरा की पुलिया के पास आये तभी पीछे से एक मारूती जिसकी रंग हल्का आसमानी सफेद जैसा था पीछे से आई। मारूती में चार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि गाडी में बैठ जाओ तब उसने व उसके पति ने गाडी में बैठने से मना कर दिया तो आरोपियों में से एक आरोपी ने फरियादिया को जबरदस्ती पकड कर मारूती में बिठा दिया और उसे पित को भी मारूती में बिठा दिया और उक्त मारूती को जंगल की तरफ ले गए तथा गाडी खडी कर उन्हें उतार दिया। आरोपीगण ने उसके पति को गोलियाँ खिला दी जिससे उन्हें नींद आने लगी और उसकी वेहोशी की हालत हो गई। उसके बच्चे को गोद से ले लिया और उसकी छाती पर कट्टा अडा दिया। आरोपी ने उन्हें बंधक बनाकर चारों आरोपियो ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। सुबह उक्त लोग गाडी में बिठाकर उसे व उसके पति व बच्चे को गुमारा गाँव में उनके घर के पास छोड गए। फरियादिया व उसके पति ने आरोपियों में से एक आरोपी राजवीर पुत्र विद्याराम गुर्जर को पहिचान लिया था। छीना झपटी में फरियादिया के कान के बाला जो कि पीतल के थे वह निकल गया और उसके पति का मोबाइल भी गिर गया था जो कि नहीं मिला। जाते समय आरोपीगण ने कहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगें। आरोपियों के डर के कारण दिनांक 27.04.10 को रिपोर्ट न कर सके। दिनांक 28.04.10 को लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 8 की अभियोक्त्री के द्वारा थाना मौ जिला भिण्ड में की गई जिसके आधार पर प्र.पी. 28 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 31/10 पर कायम की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी राजवीर एवं जसबंत की गिरफतारी दिनांक 09.05.2010 को की गई तथा अन्य सहआरोपी हल्के की भी उसी दिन गिरफ्तारी की गई और आरोपी पप्पू की दिनांक 16.06.10 को गिरफ्तारी की गई। आरोपी जसबंत से पूछताछ की गई और उसके आधिपत्य से मारूती वेन आसमानी रंग की जिसका नम्बर यू.पी. 93 आर 9327 एवं ड्राइविंग लाइसेंस तथा कान के बाला पीतल के बरामद किए गए। आरोपी हल्कें से गलीचे की जप्ती की गई एवं आरोपी पप्पू से एक मोबाइल

जो कि फरियादिया के पित का था की जप्ती की गई और घटना स्थल के पास से फरियादिया की चूडी जप्त की गई। आरोपीगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उनके चड्डी आदि की जप्ती की गई एवं अभियोक्त्री के कपड़ों की जप्ती की गई। जप्तशुदा वस्तुओं की सिनाख्ती की कार्यवाही की गई जिसमें फरियादिया व उसके पित ने अपने सामान की सिनाख्ती की थी। प्रकरण में जप्तशुदा आरोपीगण के कपड़े व फरियादिया के कपड़े स्वाव, सिलाइड परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि किमट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 04. आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 342, 366, 376(2)(छ) एवं 506बी भा०दं०वि० का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 05. दंड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताया एवं झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है और साक्षीगण के द्वारा उनका नाम गलत रूप से लिखा दिया जाना और गलत साक्ष्य देना अभिकथित किया है एवं बचाव में बचाव साक्षी के रूप में तत्कालीन तहसीलदार गोहद सुभृता त्रिपाठी बचाव साक्षी कमांक 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।
- 06. आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपी राजबीर और जसबंत दिनांक 26.04.10 को समय 06 बजे या उसके करीब ग्राम स्यारी पुरा के आम रास्ते से अभियोक्त्री एवं उसके पित का सदोष परिरोध कारित किया?
 - 2. क्या आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री का अपरहण / व्यपहरण उसके साथ अयुक्त संभोग कारित करने के आशय से किया?
 - 3. क्या आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया गया?
 - 4. क्या उक्त आरोपीगण के द्वारा अभियोक्त्री एवं उसके पति को संत्राश करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया?

-: सकारण निष्कर्ष:-

- 07. परस्पर जुडे होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए सभी बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी राजवीर के अतिरिक्त उस दिनांक को उपस्थिति शेष तीनों आरोपी जिनमें वर्तमान में विचारित किया जा रहे आरोपी जसवंत भी शामिल है को पहिचानते हुए बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने पित के साथ अपने गाँव गुमारा जा रही थी। स्यारी पुरा की पुलिया के पास पहुँची तभी आसमानी रंग की छोटी गाडी आ

गई। गाडी में तीन आरोपी जिनकों कि उसके द्वारा पिहचाना गया है जिसमें विचारित किये जा रहे आरोपी जसवंत भी शामिल है। उक्त लोगों ने उसे व उसके पित को पकड़कर गाडी के अंदर खींच लिया और गाडी के अंदर बिटाकर गाडी जंगल की तरफ ले गए। आरोपी गण ने उसके पित को नींद की गोलियाँ खिला दी जिससे वह वेहोश हो गया तथा तीनों आरोपीगण ने उसके कपड़े उतार दिये और उसके साथ बुरा काम किया। तीनों आरोपियों ने जमीन पर कपड़े उतारकर उसे लिटा दिया और उसके साथ वैसा ही काम किया जैसा कि पित पत्नी के साथ करता है और उसकी पैशाव की जगह में अपना लिंग डाल दिया। तीनों आरोपीगण ने बुरा काम करने के बाद उसे व उसके आदमी को गाडी में बिटा दिया और उसकी गर्दन में साफी से फॉसी भी लगाई। उसके बाद उनके गाँव के पहले गाडी से ले जाकर गाडी में धक्का देकर उन्हें नीचे उतार दिया और गाडी से बापस चले गए। गाँव में उसके जेट और जिटानी गोबर भर रहे थे, उन्हें देखकर वह भी आ गए थे और उन्हें घर ले गए थे। उसकी सास ने उससे घटना के बारे में पूछा था। बाद में वह अपनी सास, नंनद और नंनदोई के साथ थाना मौ में रिपोर्ट करने गई थी। पुलिस में उसने घटना के बारे में बताया था और पुलिस ने लिखापढ़ी की थी। उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया था। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था।

- 09. अभियोक्त्री द्वारा आरोपी राजवीर के घटना में मौजूद और संलग्न होने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा अभियोक्त्री को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में आरोपी राजबीर के घटना में शामिल होने या उसके द्वारा कोई घटना कारित किए जाने का कोई तथ्य नहीं आया है।
- 10. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी अभियोक्त्री का पित छुन्नालाल अ०सा० 4 ने आरोपीगण राजवीर को छोडकर शेष आरोपीगण को पिहचान न्यायालय में करते हुए अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को शाम के 06—06:30 बजे के करीब मौ से अपने गाँव गुमारा जा रहा था। साथ में उसकी पत्नी व डेढ साल का बच्चा भी था। वह स्यारी पुरा के रास्ते पर पहुँचे तभी पीछे से मारूती आई आई जिसमें चार लोग बैठे हुए थे जिनमें से तीन लोगों को उसने पिहचाना है और उनके अलावा एक व्यक्ति और था। मारूती वालों ने उसे व उसकी पत्नी व बच्चे को जबरदस्ती मारूती कार में बिठा लिया। उन्होंने कहा था कि वह घर जा रहे है छोड देते है, उन्होंने नहीं छोडा। जंगल में करीब दो किलो मीटर भीतर मारूती से ले गए थे वहाँ जाकर मारूती से नीचे उतार कर उसे व उसकी पत्नी को पैदल तीन आरोपी थे दूर ले गए और उन्हें जमीन पर बिठा दिया और मारने की धमकी देने लगे। उसके बाद एक आरोपी ने पकड कर उसे छोटी छोटी गोलियाँ खिला दी। गोलियों से उसे दिखना बंद हो गया और नींद आने लगी और बीच बीच में थोडा दिख जाता था। तीनों आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ बुरा काम किया उसके बाद गाडी में बापस बिठाकर रात भर कहीं ले गए। सुबह उन्हें घर के पास छोड दिया। उसे घर पर होश आया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा आरोपी राजवीर के संबंध में पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है।
- 11. अभियोजन साक्षी प्रेमा अ०सा० ८ ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि वह अपने दरवाजे पर झाडूपौंचा कर रही थी तभी दरवाजे के पास उसकी देवरानी और देवर गाडी से उतरे थे।

उसके देवर छुन्नालाल की ऑखें अर्द्धबंद अवस्था में थी और वह अर्द्धहोश हालत में था। उसे उसने पकड़ा था और ऑगन में खाट बिछाकर उसे बिठाया था। उसकी देवरानी ने उसे बताया था कि उसके साथ जंगल में आरोपीगण जो कि आसमानी कलर की गाड़ी से आए थे जंगल की तरफ ले गए थे और उसके साथ बुरा काम किया था। सुबह पांच बजे उसकी देवरानी उसके पास आई थी। पुलिस वाले आए थे और पुलिस को उसने घटना के संबंध में बताया था।

- 12. अभियोजन साक्षी बेदराम अ०सा० ७ के द्वारा भी यह बताया गया है कि वह अपने गौंडा में था। सुबह पांच बजे की बात है। उसने देखा कि एक मारूती बेन जिसका रंग हल्का आसमानी था। गांव के घर के गौंडा के पास रूकी थी जिसमें उसके भाई छुन्नालाल एवं भाभी सरोज उतरी । उस गांडी का नम्बर यू.पी. 93 आर. 9327 लिखा हुआ था।
- 13. उपनिरीक्षण रामशरण सिंह अ०सा० 14 जो कि दिनांक 28.04.10 को थाना मौ पर ए.एस. आई के पद पर पदस्थ थे। फरियादी सरोज के द्वारा लिखित आवेदनपत्र पेश करने पर जो कि रिपोर्ट करना अपने पित व जेठ के साथ थाना मौ पर आयी थी। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना पर अपराध कमांक 31/10 धारा 342, 376, 506बी भा०दं०वि० का पंजीबद्ध करना फरियादिया को मेडीकल परीक्षण हेतु मौ अस्पताल भेजा जाना बताया है एवं एफ.आर.आर. प्र.पी. 28 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।
- 14. डॉ० चित्रा महेश्वरी अ०सा० 5 जिनके द्वारा अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था के द्वारा यह बताया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। अभियोक्त्री के वैजाइनल स्वाव तैयार किए गए, सिलाइड बनाई गई थी तथा बाल परीक्षण के लिए भेजे गए थे जो कि उसके पेटीकोट व उक्त वस्तुए परीक्षण हेतु भेजे गए थे एवं बलात्कार के संबंध में स्पष्ट अभिमत कैमिकल और माइक्रोस्पोक परीक्षण के बाद ही दी जा सकती है। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 15. चिकित्सक डॉक्टर हरीश हासवानी अ0सा0 2 जिनके द्वारा आरोपी राजवीर एवं आरोपी जसबंत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। उन्होंने अपने परीक्षण में उक्त आरोपीगण राजवीर और जसबंत को संभोग करने के लिए सक्षम होना पाया गया है और उनके वीर्य का सैम्पल परीक्षण हेतु भेजा गया है जिस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया गया है।
- 16. अभियोजन साक्षी एम.एल. मौर्य अ०सा० 13 के जिन्होंने अस्पताल भिण्ड से लाए जाने पर अभियोक्त्री के पेटीकोट, सिलाइड और शील बंद पोटली की साक्षियों के समक्ष जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र. पी. 27 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी जसबंत और राजबीर की स्लाइड व चड्डी, शील बंद पोटली के जप्ती जो कि सी.एच.सी. मौ से लाई गई थी साक्षी जसराम अ०सा० 12 के द्वारा तैयार किया गया है जिस पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 26 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया गया है।
- 17. प्रकरण के विवेचना अधिकारी ए.एम.सिद्धकी अ०सा० 10 जिनके द्वारा घटना की रिपोर्ट

के उपरांत विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मोका प्र.पी. 20 बनाया गया है। फरियादिया व उसके पित छुन्नालाल के कथन लेखबद्ध किये है और अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए है। दिनांक 08.05.10 को घटना स्थल जहाँ कि बलात्कार होना बताया गया है वहाँ से फरियादिया की चूडी के टुकडे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 21 तैयार करना बताया है। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना जो कि आरोपी राजवीर का गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 13, आरोपी जसबंत का गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 15, आरोपी जसबंत के बताए अनुसार मारूती गाडी से कान के बाला पीलत के डेमन काठी के और मारूती बेन आसमानी रंग के जिसका नम्बर यू.पी. 93 आर. 9327 एवं आरोपी जसबंत का ब्राइविंग लाइसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 19 तैयार करना बताया है। आरोपी राजवीर से एक चड्डी काले लायलोन का जिसमें वीर्य के धब्बे लगे थे तथा आरोपी जसबंत की चड्डी सूती रंग की जिसमें वीर्य के धब्बे जगे थे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 24 तैयार किया था। आरोपी पप्पू से एक मोबाइल नोकिया कम्पनी का 1110 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया गया था जिसका सिम न. 9009967656 है।

- 18. अभियोक्त्री अ0सा0 1 के साक्ष्य की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी राजवीर सिंह की पिहचान नहीं की जा सकी है तथा उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी राजवीर को घटना कारित करने वालों में मौजूद न होना और उसके द्वारा कोई घटना कारित न करना बताया है। जब कि घटना की लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 8 पर अभियोक्त्री ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने और उसके पित ने घटना कारित करने वालों में से एक व्यक्ति को पिहाचन लिया था जो कि ग्राम स्यारीपुरा का राजवीर गूजर था जो कि गाडी चला रहा था। इसी प्रकार पुलिस कथन प्र.पी. 9 में भी राजवरी गूजर के घटना में मौजूद होने के बारे में उसनके द्वारा बताया गया है, जबिक न्यायालय में हुए कथन में वह राजवीर को घटना में मौजूद होने के तथ्य को ही इंनकार कर रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में राजवीर का नाम लिखाने से भी इंनकार कर रही है। अभियोक्त्री को अभियोजन के द्वारा इस बिन्दु पर पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। घटना का अन्य साक्षी अभियोक्त्री का पित छुन्नालाल अ0सा0 4 के द्वारा भी आरोपी राजवीर के संबंध में उसे घटना में मौजूद होना और उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने के बारे में नहीं बताया है और इस संबंध में पुलिस कथन प्र.पी. 10 में राजवीर का नाम बताने से उसके द्वारा इंनकार किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।
- 19. इस प्रकार विचारित किया जा रहे आरोपी राजवीर के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसके पित अ0सा0 4 के कथन में राजवीर की मौजूदगी और इसके द्वारा कोई भी घटना कारित किए जाने के तथ्य को इंनकार किया है और उक्त बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का समर्थन उनके द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसके पित अ0सा0 4 के द्वारा आरोपी राजवीर के संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है और इस बिन्दु पर कोई असत्य कथन किया जा रहा है तो इस आधार पर उन्हें अविश्वसनीय मानते हुए उनके साक्ष्य को दरिकनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता। "एक बात पर असत्य सब बात में असत्य"

"Falsus in uno, Falsus in omnibus" का सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी के साक्ष्य कथन का कुछ भाग सत्य होना नहीं पाया गया है, उसका सम्पूर्ण कथन झूठा मानने का आधार नहीं हो सकता। किसी साक्षी के कथन को न्यायालय के द्वारा एक बिन्दु पर विश्वासयोग्य नहीं पाया गया हो तो यह उसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह अनाज को भूसे से प्रथक करे। जैसा कि इस संबंध में जेकी वि० स्टेट 2007 सी.आर.एल.जे. 1671, हरीशचंन्द्र वि० स्टेट ऑफ दिल्ली ए.आई.आर 1996 एस.1477, कालीगुरम पदियाराय वि० स्टेट ऑ ऑन्ध्रप्रदेश ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1299 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना उचित होगा।

अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से न्यायालय में उपस्थिति वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी राजवीर को छोड़कर शेष सभी उपस्थिति तीनों आरोपीगण को न्यायालय में पहिचाना है, जिसमें कि आरोपी जसबंत भी न्यायालय में उपस्थिति था। उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसे और उसके पति को आरोपी गाडी में खींचकर बिटाकर जंगल की तरफ ले गए थे। उसके पति को वेहोश कर दिया और तीनों आरोपियों ने उसे जमीन पर कपडे उतारकर लिटा दिया था और उसके साथ बलात्कार का कृत्य किया था। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अन्य सह आरोपी हल्के एवं पप्पू उर्फ वानासिंह प्रकरण के चलने के दौरान अनुपस्थिति हो गए जिस कारण उन्हें फरार घोषित कर आरोपी जसबंत और राजवीर का विचारण आगे चलाया गया है। अभियोक्त्री के मुख्यपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही फरार बताए गए आरोपी न्यायालय में मौजूद थे और इसी प्रकार उसके पति अ०सा० 4 के कथन के दौरान भी उक्त आरोपी न्यायालय में मौजूद थे। अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसके पति अ0सा0 4 के द्वारा न्यायालय में आरोपी जसबंत सहित अन्य दो आरोपियों की पहिचान की है और अभियोक्त्री अ०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण जो कि काफी विस्तृत और लम्बा तथा झेलाऊ प्रतिपरीक्षण हुआ है। उसके प्रतिपरीक्षण में कतिपय विरोधाभाष, बिसंगति, लोप एवं आधिक्य आया है, किन्तु इस प्रकार की विसंगति, विरोधाभाष और लोप अभियोक्त्री जो कि अनपढ एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है यदि उसके विस्तृत प्रतिपरीक्षण के दौरान इस प्रकार की कोई विसंगति अथवा विरोधाभाष, लोप आया भी है तो तात्विक प्रकार की होनी नहीं कही जा सकती और मात्र इस आधार पर अभियोक्त्री के सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। अभियोक्त्री के द्वारा वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी जसंबत के विरूद्ध किसी रंजिश के कारण अथवा उसे किसी अन्य हेतुक से उसे झूठा लिप्त किया जा रहा हो और उसके खिलाफ इन कारणों से कथन किए जा रहे हो ऐसा भी कोई आधार नहीं है और न ही अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के दौरान इस प्रकार का कोई तथ्य आया है तथा बचाव पक्ष के द्वारा भी कहीं इस प्रकार का कोई आधार नहीं लिया गया है।

21. इस प्रकार अभियोक्त्री के कथन में उसके प्रतिपरीक्षण में आए हुए विरोधाभाष का जहाँ

तक प्रश्न है, उसके प्रतिपरीक्षण में जो विरोधाभाष, विसंगित या लोप आया है वह तात्विक प्रकार की होनी नहीं कही जा सकती। इस संबंध में राधू वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2007 सी.आर.एल. जे. 704 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया है कि अभियोक्त्री के कथनों में आयी हुई छोटी मोटी किमया और विरोधाभाष के आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन को खारिज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार प्रेमप्रकाश वि० स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर 2011 एस.सी. 2677 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि साक्षी के कथन को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे विरोधाभाष जोि क अभियोक्त्री के कथनों को अविश्वसनीय नहीं बनाते है व तात्विक नहीं होते हैं।

- 22. निश्चित तौर से बलात्कार के मामलों में अभियोक्त्री की स्थिति आहत साक्षी से भी उच्च स्तर की होती है। जैसा कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब विक रामदेव (2004)1 एस.सी.सी. 421 में अभिधारित किया गया है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुष्पांजली साहू विक स्टेट ऑफ उडीसा(2012)9 एस.सी.सी. 705 में यह अभिधारित किया है कि अभियोक्त्री जो कि बलात्कार के अपराध की पीडिता है उसकी स्थिति सहअपराधी की नहीं होती है, उसके साक्ष्य पर विचार करते समय साक्ष्य की प्रबलता एवं संभावनाओं के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य की प्रवलता अपराध गठित करने के संबंध में इंगित करता है तो अपराध प्रमाणित माना जा सकता है। बलात्संग के अपराध मात्र किसी महिला के प्रति अपराध न होकर सम्पूर्ण समाज के लिए अपराध है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को अधिक संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए।
- 23. प्रकरण में अभियोक्त्री के साक्ष्य कथन के दौरान उसके द्वारा वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी जसबंत जो कि न्यायालय में उपस्थिति था और उसे पिहचाना गया है तथा उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त आरोपी अन्य दो सह आरोपियों के साथ उसे रास्ते में जाते समय खींचकर जबरदस्ती गाड़ी में ले गए और गाड़ी में ले जाकर जंगल में उसे रात भर रखा गया और उसके साथ बुरा काम कर बलात्कार की घटना की गई और बुरा काम करने के बाद उसे व उसके पित को गाड़ी में बिटा लिया फिर उन्हें गाड़ी में घर के पास तक छोड़ दिया। इस बिन्दु पर साक्षी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से खण्डित होना नहीं पाया गया है।
- 24. अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथन की सम्पुष्टि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी अभियोक्त्री के पित अ0सा0 4 के कथन से भी होती है जो कि घटना के समय अपनी पत्नी अभियोक्त्री के साथ रास्ते में पैदल आ रहा था और इसी दौरान मारूती गाडी में आरोपी आए और उसे तथा उसकी पत्नी को जंगल की तरफ ले जाना तथा आरोपियों ने उसे गोली खिला देना जिससे कि उसे दिखना बंद हो गया और नींद आने लगी जो कि बीच बीच में उसे होश आता था और तीनों आरोपियों के द्वारा उसकी पत्नी के साथ बुरा काम करना बताया गया था और इसके बाद दूसरे दिन सुबह के समय उन्हें गाँव के पास छोड देना उसके द्वारा बताया गया है। साक्षी अ0सा0 4 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपी राजवीर को छोड़कर शेष तीनों आरोपियों जो कि साक्ष्य दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति थे

जिनमें वर्तमान में विचारित किया जा रहा आरोपी जसबंत भी शामिल है की पहिचान की गई थी और उसके द्वारा भी घटना कारित करना उसके द्वारा बताया गया है।

- 25. उक्त साक्षी छुन्नालाल अ०सा० 4 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन में भी कोई तात्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभाष, विसंगित अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। साक्षी जो कि अपने पत्नी के साथ में था और उसे भी गाड़ी में बैठाकर उसकी पत्नी के साथ लेजाया गया था, लेकिन उसे गोलियाँ खिलाकर नींद और अर्द्ध वेहोशी की हालत में कर दिया गया था। इस प्रकार साक्षी की घटना पर अभियोक्त्री के साथ मौजूदगी तथा घटनाक्रम घटित होने के संबंध में जिसमें कि वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी जसबंत भी शामिल था। इस संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा किया गया कथन विश्वास योग्य पाया जाता है। साक्षी के द्वारा आरोपीगण को किसी रंजिश के कारण अथवा अन्य किसी हेतुक के लिए झूठा फंसाया जा रहा हो और उन्हें इस संबंध में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा मानने का भी कोई आधार नहीं है। सामान्यतः कोई पति किसी निर्दोश या पहले से न जानने वाले व्यक्ति जिससे कि उसके कोई रंजिश नहीं है और उसे कुछ लेना देना नहीं है उसे अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने की घटना में वह झूठा लिप्त करे ऐसा भी नहीं माना जा सकता।
- 26. यह स्वभाविक है कि यदि पत्नी के साथ पित को साथ में लेजाया जा रहा हो जो कि उसकी पत्नी के साथ अयुक्त संभोग करने हेतु लेजाया जा रहा है तो ऐसे में आरोपी उसके पित को स्वस्थ हालत में देखना पसंद नहीं करेगा और इस पिरप्रेक्ष्य में यदि उसके पित को गोलियाँ खिला दी गई जैसा कि अभियोक्त्री अ0सा0 1 और वर्तमान साक्षी अ0सा0 4 के कथनों में भी आया है तो वह स्वभाविक लगता है। यद्यपि अभियोक्त्री के पित अ0सा0 4 का परीक्षण करने वाले डाँ० सी.आर.राजे अ0सा0 11 के द्वारा छुन्नालाल अ0सा0 4 के परीक्षण में उसे सामान्य और चेतन्य अवस्था में होना पाया गया है, किन्तु उक्त साक्षी का परीक्षण दिनांक 28.04.10 को हुआ है जबिक उसे गोलियाँ जिससे कि वह अर्द्ध वेहोशी के अवस्था में होना बताया गया है वह दिनांक 26.04.10 को शाम के समय लिखाई गई है। इस प्रकार उसका परीक्षण दो दिन उपरांत हुआ है। दो दिन उपरांत नींद की गोलियों का असर उसके शरीर पर परीक्षण में पाया जाए यह स्वभाविक भी नहीं लगता है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर चिकित्सक के द्वारा उसके वेहोशी और गोली के असर के संबंध में कोई लक्षण वाहरी परीक्षण में नहीं पाए गए है उसके कथन को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है।
- 27. इस प्रकार अभियोजन साक्षी छुन्नालाल अ०सा० 4 के कथन के आधार भी घटना दिनांक को रास्ते में जाते समय वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी जसबंत व उसके अन्य साथियों जो कि संख्या में दो से अधिक थे के द्वारा अभियोक्त्री और उसके पित को जबरदस्ती मारूती गाडी में बिठाल ले जाना और उन्हें जंगल में ले जाना व रात भर जंगल में रखे रहना इस दौरान अभियोक्त्री के साथ घटना कारित किए जाने की सम्पुष्टि होती है।
- 28. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि आंशिक रूप से साक्षी बेदराम अ०सा० 7 तथा प्रेमा अ०सा० 8 के कथनों से भी होती है। साक्षी बेदराम अ०सा० 7 के द्वारा यह बताया गया है कि सुबह पांच

बजे करीब वह अपने गौंडा में था उसी दौरान गौंडा के पास सेर में आकर मारूती वेन रूकी थी जिसमें उसे उसका भाई और अभियोक्त्री जो कि उसकी भाभी है उतरी थी। गाडी का नम्बर यू.पी. 93 आर. 9327 लिखा था जो उसने पढ लिया था। उसे यह पता चला था कि उसकी भाभी के साथ तीन लोगों ने बलात्कार किया है। उक्त साक्षी जिसके द्वारा मारूती गाडी को गौंडा के पास देखा गया है तथा अभियोक्त्री और अपने भाई को उतरते देखा है। इस संबंध में साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा किये गए उपरोक्त कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

- 29. इसी प्रकार साक्षिया प्रेमा अ०सा० 8 जो किक अपने दरवाजे पर झाडू कर रही थी और इसी दौरान अभियोक्त्री जो कि उसी देवरानी तथा उसका देवर आना और उसके द्वारा अपने देवर को खाट पर बिठाना बताया है और उसकी देवरानी अभियोक्त्री के द्वारा उसके साथ बुरा काम किये जाने के संबंध में बताया गया था। इस संबंध में यद्यपि उक्त साक्षिया के द्वारा वर्तमान में विचारित आरोपी जसबंत या किसी अन्य आरोपी को पिहचाना नहीं गया है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षिया जो कि उसकी देवरानी अभियोक्त्री के द्वारा उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया गया और उक्त साक्षिया के द्वारा उसके घर के दरवाजे पर मारूती गाडी आसमानी रंग की देखी गई जिसमें से उसका देवर और अभियोक्त्री देवरानी नीचे उतरे थे।
- 30. घटना में आरोपी जसबंत के संलग्न होने की सम्पुष्टि उसके आधिपत्य से हुई जप्ती के आधार पर भी होती है। इस संबंध में आरोपी जसबंत के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके आधिपत्य से आसमानी रंग की मारूती वेन गाडी जिसका नम्बर यू.पी. 93 आर. 9327 तथा कान का पीतल का वाला जप्त किया जाना और आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी जप्त किया जाना विवेचना अधिकारी ए.एम. सिद्धकी अ0सा0 10 के द्वारा बताया गया है जो कि आरोपी जसबंत का मेमोरेडम कथन प्र.पी. 17 है जिसके आधार पर मारूती गाडी और वाला की जप्ती प्र.पी. 19 के अनुसार की गई है। आरोपी जसबंत के मेमोरेडम के आधार पर उक्त जप्ती की कार्यवाही के संबंध में यद्यपि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मेमोरेडम और जप्ती के साक्षी बारेलाल अ0सा0 9 के द्वारा उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु उसने आरोपी जसबंत की गिरफ्तारी उसके समक्ष होना और गिरफ्तारी प्रत्रक प्र.पी. 15 बनाया जानपा व उस पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इसी प्रकार मेमोरेडम प्र.पी. 17 तथा जप्ती पत्रक प्र.पी. 19 पर भी अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। साक्षी के द्वारा किन्हीं कारणों से उक्त जप्ती का समर्थन नहीं किया जा रहा है तो मात्र इस आधार पर जप्ती की कार्यवाही जो कि विवेचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से की जानी बताई गई है उसे प्रतिकूलित मानने का कोई आधार नहीं है।
- 31. यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री के कान के वाला जो कि आरोपी जसबंत से जप्त किया जाना बताया गया है। उक्त वाला की पहिचान अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा की गई है जैसा कि अभियोक्त्री ने पहिचान के दौरान कान के वाला और मोबाइल की जप्ती सह आरोपी पप्पू से की जानी बताई । उक्त सिनाख्ती की कार्यवाही तिलकसिंह अ0सा0 6 के द्वारा कराई गई है जिनके समक्ष सिनाख्ती पंचनामा प्र.पी. 11 तैयार किया जाना और उस पर अपने हस्ताक्षर होना साक्षी तिलक सिंह के द्वारा बताया गया है। साक्षी तिलक सिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके द्वारा की गई कार्यवाही किसी

प्रकार से प्रतिकूलित होनी नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसके पित अ0सा0 4 के द्वारा अभियोक्त्री के कान के वाला जो कि आरोपी जसबंत से जप्त किए गए है की पिहचान की गई है और मारूती गाडी आसमानी कलर की जिसका क्रमांक यू.पी. 93 आर. 9327 है। उक्त मारूती गाडी की जप्ती भी आरोपी जसबंत से होनी और उक्त मारूती गाडी में ही अभियोक्त्री और उसके पित को ले जाया गया था और उन्हें उसी से घर के पास तक छोड़ा गया था। जैसा कि इस संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसे पित के द्वारा कथन तथा साक्षी बेदराम अ0सा0 7 और प्रेमा अ0सा0 8 के कथनों से भी उक्त बात की पुष्टि होती है। इस प्रकार आरोपी जसबंत जिससे कि मारूती गाड़ी आसमानी कलर की जिसका नम्बर यू.पी. 93 आर. 9327 की जप्ती हुई है और अभियोक्त्री के कान के वाला के जप्ती भी उसी से हुई है। उक्त तथ्य भी आरोपी के अपराध में संलग्न होने की सम्पुष्टि करता है।

- 32. प्रकरण में एफ.एस.एल रिपोर्ट प्र.पी. सी1 के आधार पर भी आरोपी जसबंत की चड्डी, बलात्कार के समय घटना स्थल पर बिछाया हुआ गलीचा और अभियोक्त्री के पेटीकोट, सिलाइड व स्वाव में वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए है जो कि उक्त तथ्य भी घटना घटित होने की पुष्टि करते है।
- 33. आरोपी जसबंत के संभोग करने में सक्षम होना डाँ० हरीश हासवानी अ०सा० 2 के कथन से प्रमाणित है। इस प्रकार आरोपी संभोग करने में सक्षम होना भी प्रमाणित है।
- 34. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी जसबंत व उसके साथ अन्य दो आरोपियों (जो कि विचारण के दौरान अनुपस्थिति होकर फरार घोषित किए गये है जो पप्पू उर्फ बानासिंह एवं हल्के) के भी घटना में साथ में होने और उनके द्वारा अभियोक्त्री और उसके पित को मारूती गाडी में जबरदस्ती बिटालकर ले जाना जो कि अभियोक्त्री के साथ अयुक्त संभोग करने हेतु ले जाने और उन्हें मारने की धमकी दिए जाने तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना कारित करने के तथ्य के संबंध में साक्ष्य आई है।
- 35. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में बचाव के रूप में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से बाद में सोच समझकर दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी जसबंत के नाम का उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि पहिचान परेड के दौरान वह आरोपियों की कोई पिहान नहीं की जा कसी है मात्र न्यायालय के समक्ष की गई पिहचान जो कि काफी समय बाद की गई है, उसके आधार पर आरोपी जसबंत की घटना में मौजूदगी और उसके द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता हैं। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हितबद्ध साक्षी है है जो कि बाद में सोच समझकर कथन कर रहे है। आहता के शरीर पर कोई चोट नहीं है और चिकित्सीय आधार पर भी बलात्कार का तथ्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी जसबंत के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती। बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में सुभृता त्रिपाठी तत्कालीन नायब तहसीलदार/कार्यपालन मजिस्ट्रेट ब0सा0 1 के कथन कराए गए है जिन्होंने कि सह आरोपी पप्पू की

सिनाख्ती कराई जानी और इस दौरान उसकी सही सिनाख्ती नहीं हो पाना अपने साक्ष्य कथन में बताया है।

- बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया उपरोक्त आधारों का जहाँ तक प्रश्न है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 8 जो कि लिखित रूप से थाना मौ में दर्ज कराई गई है। उक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 28.04.10 को होना उल्लेखित है। जब कि अभियोक्त्री एवं उसके पति को आरोपियों के द्वारा दिनांक 27.04.10 को घटना कारित कर उनके घर के पास तक छोड़ देना बताया गया है। इस प्रकार घ ाटना की सूचना थाने पर कए दिन पश्चात् दी गई जो कि लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 28 दिनांक 28.04.10 को दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विलम्ब का कारण आरोपीगण का डर होना बताया गया है। इस प्रकार यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद दर्ज कराई गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि घटना जो कि बलात्कार से संबंधित है की रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से की गई हो यह अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध मानने का कोई कारण या आधार नहीं हो सकता। बलात्कार के मामलों में महिला जिसके साथ अपराध हुआ है और जिसमें कि परिवार की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न निहित रहता है। इस प्रकार के मामलों में विलम्ब अस्वभाविक नहीं कही जा सकती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सतपाल सिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 8 एस.सी.सी. 7141 एवं सोहनसिंह वि० स्टेट ऑफ विहार (2010) 1 एस. सी.सी. 68 में यह अभिधारित किया गया है कि बलात्कार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब होने एक सामान्य बात है इस कारण इस प्रकार के मामलों में एफ.आई.आर विलम्ब से दर्ज होना घातक नहीं माना जा सकता। अभियोक्त्री जिस पर ऐसा अपराध किया गया है जिसकी दशा पर भी विचार करना चाहिए। ऐसी दशा में अभियोक्त्री के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज कराई जाने के आधार पर अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती।
- 37. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपी जसबंत सिंह के नाम का उल्लेख न होने के संबंध में जहाँ तक प्रश्न है निश्चित रूप से अभियोक्त्री से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी अपरिचित व्यक्ति का नाम जाने और उसके नाम एफ.आई.आर में दर्ज कराए। एफ. आई.आर में चार लोगों के आने और उनके द्वारा घटना घटित करने का उल्लेख आया है। यद्यपि आरोपी राजवीर की मौजूदगी होना और उसके घटना कारित करने का कोई समर्थन अभियोक्त्री ने नहीं किया है, किन्तु शेष तीन आरोपियों की पिहचान उसके द्वारा की गई है और इस संबंध में स्पष्ट रूप से कथन करते हुए आरोपी जसबंत को भी घटना में शामिल होना बताया है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि आरोपी जसबंत के नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा करने का आधार नहीं हो सकता।
- 38. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि आरोपी जसबंत की पिहचान परेड में उसकी पिहचान अभियोक्त्री एवं उसके पित के द्वारा नहीं की जा सकी है। घटना के उपरांत प्रथम बार न्यायालय में उसके द्वारा आरोपी को पिहचाना जा रहा है जिस आधार पर आरोपी की न्यायालय में हुई

पहिचान को आधार मानते हुए जब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी जसबंत के नाम का उल्लेख नहीं है। अभियोक्त्री के कथ को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की आरे से दाना यादव उर्फ दाहू बगैरह वि0 विहार राज्य 2003(1) सी.सी.एस.सी. 49 पेश किया गया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के जसबंत के नाम का उल्लेख नहीं आया है। अभियोक्त्री अ.सा. 1 तथा उसके पति अ.सा. 4 के द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी जसबंत की पहिचान की गई है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपी जसबंत पर की कोई पहिचान परेड भी नहीं कराई गई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आरोपी जसबंत की कोई पहिचान परेड नहीं कराई गई है। अभियोक्त्री और उसके पति के द्वारा न्यायालय में आरोपी जसबंत की पहिचान को संदिग्ध मानने का आधार नहीं हो सकता है। निश्चित तौर से अभियोक्त्री जिसे कि आरोपी जसबंत और उसके अन्य सहयोगी गाडी में बिठाकर ले गए एवं उसे कई घण्टों तक अपने साथ रखा और उसके साथ बलात्कार की घटना की गई। इस दौरान उसे अभियुक्त को देखने और पहिचानने का पर्याप्त अवसर रहा है। इस प्रकार की स्थिति जब कि अभियोक्त्री और उसके पति के द्वारा आरोपी को देखा गया और अभियोक्त्री उसके साथ कई घण्टे रही है। यदि आरोपी जसबंत की पहिचान परेड नहीं कराई गई है तो यह अभियोजन के लिए घातक होना नहीं माना जा सकता। इस संबंध में दस्तगिर शाह वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक 2004(3) एस.सी.सी. 106 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि पहिचान परेड एक पुष्टिकारक साक्ष्य है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहिचान परेड न करवाना अभियोजन के मामले को अप्रमाणित करता है। इसी प्रकार सुभाष वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर. 2009 एम.पी. 2366 में भी यह अभिधारित किया गया है कि यदि अभियुक्त को देखने और पहिचानने का पर्याप्त अवसर रहा है तो इस प्रकार के मामलों में पहिचान परेड न कराने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जब कि स्पष्ट तौर से अभियोक्त्री अ0सा0 1 और उसके पति अ0सा0 4 के द्वारा आरोपी जसबंत की पहिचान न्यायालय में की गई है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दाना यादव उर्फ दाहू के परिप्रेक्ष्य में जो कि उक्त प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण से भिन्न है, उसके आधार पर आरोपी की पहिचान की कार्यवाही संदिग्ध कर अप्रमाणित मानने का कोई आधार नहीं है।

40. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी सुभ्रता त्रिपाठी व.सा. 1 तत्कालीन नायब तहसीलदार के कथन कराए गए है जिनके द्वारा बताया गया है कि आरोपी पप्पू उर्फ बाना सिंह उर्फ भरोसी की शिनाख्ती परेड उनके द्वारा कराई गई थी जिसमें कि अभियोक्त्री एवं उसके पित के द्वारा उक्त आरोपी पप्पू की शिनाख्ती पिहचान नहीं की जा सकी थी, किन्तु बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बचाव के आधार कि जेल में हुई शिनाख्ती की परेड में सह आरोपी पप्पू की शिनाख्ती की पिहचान अभियोक्त्री और उसके पित के द्वारा नहीं की जा सकी है थी। इस संबंध में आरोपी जसबंत की पिहचान व उसके घटना में मौजूद न होने के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाने का आधार नहीं हो सकता है। बचाव पक्ष के द्वारा

अन्य यह आधार लिया गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है जिनके कथन विश्वास किया जाने योग्य नहीं है। बलात्संग के मामलों में अभियोक्त्री की साक्ष्य की स्थित का जहाँ तक प्रश्न ऐसी मामलों में यदि अभियोक्त्री का कथन विश्वास योग्य होना पाया जाता है तो वह प्रकरण प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, उसके साक्ष्य की पुष्टि होना आवश्य नहीं है। जैसा कि इस संबंध में स्टेट ऑफ यू.पी. वि० छोटेलाल ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 679, विजय उर्फ चीनी वि० स्टेट ऑफ एम.पी. (2010)8 एस.सी.सी. 399, भूपेन्द्र शर्मा वि० स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश (2003) एस.सी.सी. 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थित में जब कि वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री की साक्ष्य के अतिरिक्त आरोपी जसबंत के घटना में संलग्न होने बावत् अन्य सम्पुष्टि कारक साक्ष्य भी विद्यमान है। मात्र इस आधार पर कि अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री के परिवार के है उन्हें हितबद्ध मानते हुए इस संबंध में कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता।

- 41. बचाव पक्ष के द्वारा अन्य आधार यह भी लिया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट विद्यमान नहीं है तथा चिकित्सक के द्वारा भी अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में जब कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी बलात्कार के घटना की सम्पृष्टि नहीं होती है। अभियोजन प्रकरण प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- इस संबंध में विचार किया गया। प्रकरण में यद्यपि डॉक्टर चित्रा महेश्वरी अ०सा० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि पीडिता के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे तथा बलात्कार के संबंध में कैमिकल और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के उपरांत ही निश्चित अभिमत दिया जा सकता है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दे पाना बताया गया है। इससे अभियोक्त्री की साक्ष्य का स्तर कम नहीं माना जा सकता। जैसा कि इस संबंध में प्रेमप्रकाश सि0 स्थेटा ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 277 इसी प्रकार अभियोक्त्री के शरीर पर चोट न होना पाए जाने का जहाँ तक प्रश्न है। मात्र इस आधार पर कि अभियोक्त्री के शरीर पर या उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, अभियोक्त्री के कथन तथा प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उढाया जा सकता। अभियोक्त्री के शरीर पर चोट मौजूद होना बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य तत्व भी नहीं है। जैसा कि इस संबंध में राजेन्द्र उर्फ राजू वि० स्टेट ऑफ हिमाचलप्रदेश ए.आई.आर. 2009 एस. 3022 एवं सोहन सिंह वि0 स्टेट ऑफ बिहार (2010) 1 एस.सी.सी. 688 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर बाहरी या भीतर चोट न पाए जाने मात्र से उसका कथन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
- 43. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि आरोपी जसबंत को घटना में झूठा लिप्त किया गया है। उसे झूठा लिप्त करने के संबंध में कोई भी आधार अथवा कारण बचाव पक्ष के द्वारा नहीं बताए गए है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा मात्र यह आधार लेने का कि आरोपी जसबंत को झूठा

फसाया गया है। जबिक झूटा फंसाए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। इस आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

- 44. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर घटना जिसमें कि अभियोक्तत्री एवं उसके पित को सदोश परिरोध कर अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने हेतु उसका अपहरण करना तथा अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने एवं उसे और उसके पित को संत्राश कारित करने के लिए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में है। सामूहिक बलात्संग का अपराध के संबंध में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी जसबंत के साथ दो अन्य आरोपी भी उक्त घटना में मौजूद थे। ऐसी दशा में जबिक बलात्संग की घटना में आरोपी के अतिरिक्त अन्य आरोपियों की मौजूदगी होना भी स्पष्ट रूप से साक्ष्य में आया है। उक्त अधार पर कि आरोपी जसबंत के विरूद्ध सामूहिक बलात्कार के अपराध प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त आरोपी जसबंत के विरूद्ध अभियोक्त्री एवं उसके पित छुन्नालाल को स्वेच्छया ऐसी बांधा डालने जिससे कि जिस दिशा में उन्हें जाने का अधिकार था उसमें जाने से रोककर सदोष परिरोध किये जाने तथा घटना दिनांक समय स्थान पर अभियोक्त्री का अपहरण उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए किया जाना एवं अभियुक्त एवं उसके पित को संत्राश कारित किए जाने के आशय से जान से मारने की धमकी देना भी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाया जाता है।
- 45. जहाँ अन्य विचारित किए जा रहे आरोपी राजबीर के घटना में शामिल होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने का संबंध है। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजबीर के घटना में शामिल होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।
- 46. तदनुसार आरोपी राजवीर पुत्र विद्याराम गुर्जर को धारा 342, 366, 376(2)(छ) एवं 506बी भा0दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी जसबंत पुत्र धीनराम को आरोपित अपराध धारा 342, 366, 376(2)(छ) एवं 506बी भा0दं०वि० के अपराध हेतु दोषसिद्ध टहाराया जाता है।
- 47. आरोपी जसबंत के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय अस्थाई रूप से स्थिगित किया जाता है।

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

पुनश्चय:-

48. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त जसबंत के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व की दोषसिद्धि भी नहीं है। परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार

करने का निवेदन किया है।

- 49. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी जसबंत को धारा 342, 366, 376(2)(छ) एवं 506बी भा0दं0वि० के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाया गया। आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित अपराध जो कि सामूहिक बलात्संग का अपराध भी प्रमाणित है। प्रमाणित अपराध सामान्य श्रेणी का अपराध नहीं है, बल्कि वह इस प्रकार का अपराध है जो कि पूरे समाज को प्रभावित करते है और इस प्रकार के अपराधों से समाज की नैतिकता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार के अपराधों में दंड अपराध के अनुपातिक होना अपेक्षित है।
- 50. विचारोउपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं घटित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी जसबंत पुत्र धनीराम को धारा 376(2)(छ) भा०दं०वि० के अपराध हेतु दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 12,000 /— रूपए अर्थदण्ड से एवं धारा 366 भा०दं०वि० हेतु पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 3000 /— रूपए अर्थदण्ड से एवं धारा 342 भा०दं०वि० हेतु छः माह के सश्रम कारावास की सजा तथा 506 भाग—2 भा०दं०वि० हेतु एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में क्रमशः छः माह व तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाए। आरोपी को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की सजा साथ—साथ भुगताई जावे।
- 51. आरोपी जसबंत के द्वारा प्रकरण के अन्वेषण, जॉच और विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई सजा की अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जाए। आरोपी जसबंत एवं राजवीर के संबंध में धारा 428 दं.प्रं.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।
- 52. आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उसमें से 14,000 / रूपए प्रतिकर के रूप में अभियोक्त्री के दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है।
- 47. प्रकरण में दो सह आरोपी पप्पू उर्फ बानासिंह एवं हल्के फरार है ऐसी दशा में प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ती का निराकरण उनके विचारण के उपरांत ही किया जाएगा। प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप अभिलेख में लगाई जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपितयाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड